

# उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ

विज्ञापन संख्या: 24-परीक्षा / 2016

## विधान भवन रक्षक / वनरक्षक (सामान्य चयन) प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2016

ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि -09.12.2016

ऑनलाइन शुल्क जमा करना प्रारम्भ होने की तिथि -12.12.2016

परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि - 26.12.2016

ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि - 28.12.2016

आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि -30.12.2016

उत्तर प्रदेश सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के नियंत्रणाधीन विधान भवन रक्षक के 44 रिक्त पदों तथा प्रमुख वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष, वन एवं वन्य जन्तु, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के नियंत्रणाधीन वनरक्षक के 620 रिक्त पदों, कुल 664 रिक्त पदों जिनका आरक्षित श्रेणीवार विवरण आगे बिन्दु-7 की सारणी-1 में दिया गया है, के सापेक्ष चयन हेतु, विधान भवन रक्षक व वनरक्षक (सामान्य चयन) प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2016 के अंतर्गत भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। उक्त रिक्त पदों के लिए अभ्यर्थी को केवल एक ही आवेदन सबमिट (SUBMIT) करना है।

नोट- उक्त पद समाज के विकलांगजन हेतु चिन्हांकित नहीं है।

### विशेष सूचना

परीक्षा शुल्क का भुगतान रजिस्ट्रेशन होने के अगले कार्य दिवस को या उसके बाद किया जा सकता है। बैंक में शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा शुल्क जमा करने एवं आवेदन सबमिट करने की दशा में ही उसका आवेदन पूर्ण होगा। यदि निर्धारित अंतिम तिथि के बाद बैंक में शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी का आवेदन स्वीकार नहीं होगा, उसे निरस्त माना जाएगा। जमा शुल्क किसी भी दशा में किसी अभ्यर्थी को वापस नहीं होगा। निर्धारित अंतिम तिथि तक शुल्क बैंक में जमा करना तथा निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदन सबमिट (SUBMIT) करने का दायित्व अभ्यर्थी का है। कृपया एक रजिस्ट्रेशन नंबर पर एक बार से अधिक फीस का भुगतान न करें।

2- ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई प्रमाण पत्र / अंक तालिका आदि प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है।

### ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना -

इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति (online application system) लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन ही करें।

“ऑनलाइन आवेदन” करने के संबंध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित निर्देशों को भली - भांति समझ लें और तदनुसार आवेदन करें।

आयोग की वेबसाइट <http://upsssc.gov.in> पर "ऑन नोटीफिकेशन / एडवर्टिजमेंट डिटेल्स" (all notification / advertisement details) अभ्यर्थी द्वारा क्लिक करने पर ऑनलाइन एडवर्टिजमेंट स्वतः प्रदर्शित होगा, जिसमें निम्नलिखित तीन भाग हैं :-

- 1- यूजर इन्सट्रक्शन (user instruction)
- 2- व्यू एडवर्टिजमेंट (view advertisement)
- 3- अप्लाई (apply)

**यूजर इन्सट्रक्शन (user instruction)-** में अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित दिशा-निर्देश दिये गए हैं। इसके बाद अभ्यर्थी व्यू एडवर्टिजमेंट (view advertisement) को क्लिक करें। ऐसा करने पर पूरा विज्ञापन प्रदर्शित होगा। आवेदन हेतु अप्लाई (apply) पर क्लिक करें। ऑनलाइन आवेदन करने का कार्य निम्नांकित तीन स्तरों पर किया जाएगा :-

**प्रथम स्तर –** अप्लाई क्लिक करने पर परिशिष्ट -1 में परीक्षा के सापेक्ष कैंडीडेट रजिस्ट्रेशन (candidate registration) क्लिक करने पर अभ्यर्थी का बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म (परिशिष्ट -2) प्रदर्शित होगा।

**फॉर्म भरने के पश्चात सबमिट (Submit) बटन पर क्लिक करने से प्रथम चरण का पंजीकरण पूर्ण हो जाएगा। तत्पश्चात (कैंडीडेट रजिस्ट्रेशन एकनोलेजमेंट) (परिशिष्ट -3) प्रदर्शित होगा। जिसे प्रिंट पर क्लिक करके मुद्रित किया जा सकेगा।**

**द्वितीय स्तर –** परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु वेबसाइट पर दिये गए लिंक को क्लिक करें, शर्तों को स्वीकार करें और आगे बढ़ें। इसके बाद स्टेट बैंक कलेक्ट पर जाकर ई-चालान या ऑनलाइन माध्यमों (इंटरनेट बैंकिंग / काइर्स) से परीक्षा शुल्क जमा किया जा सकता है। कैटेगरी का चयन करें, रजिस्ट्रेशन संख्या, जन्मतिथि (dd/mm/yyyy के रूप में) भरें एवं सबमिट करें। स्क्रीन पर भरी हुई सभी प्रविष्टियाँ सत्यापित करें एवं सत्यापित प्रविष्टियाँ भरें एवं सबमिट करें। इन्हें पुनः सत्यापित कर कन्फर्म करें। अब पेमेंट ऑप्शन्स स्क्रीन पर दिखाई देंगे। इनमें से भुगतान का माध्यम चयन करें। SBI इंटरनेट बैंकिंग / डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड / अदर बैंक इंटरनेट बैंकिंग, अथवा SBI की किसी शाखा में नकद भुगतान के लिए ई-चालान के लिए SBI ब्रांच का चयन करें। ई-चालान भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा पर जमा किया जा सकता है। यदि ऑनलाइन भुगतान का चयन किया गया है तो स्क्रीन पर दिये गए निर्देशों के अनुसार भुगतान की प्रक्रिया सम्पन्न होगी। ई-चालान के साथ भारतीय स्टेट बैंक की, जिले की, किसी भी शाखा में जाकर निर्धारित धनराशि (ई-चालान में मुद्रित होगी) जमा करके भुगतान की प्रक्रिया सम्पन्न करने के पश्चात विभाग की वेबसाइट पर प्रिंट ई-रिसीप्ट के आप्शन का चयन करते हुए ई-रिसीप्ट का प्रिंट आउट प्राप्त कर लें। ई-चालान की एक प्रति बैंक से प्राप्त कर लें तथा इसे अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखेंगे। बैंक द्वारा अभ्यर्थी को वापस की गयी ई-चालान की प्रति में बैंक द्वारा ट्रांजेक्सन आई. डी / जरनल नंबर (डीयू.....) छपी हुई होगी जिसका उपयोग तृतीय स्तर पर आवेदन-पत्र भरते समय अभ्यर्थी को करना होगा। ऑनलाइन जमा करते समय स्क्रीन पर (डीयू.....) ट्रांजेक्सन नंबर दिखाया जाएगा जिससे ई-रिसीप्ट का प्रिंट भी लिया जा सकता है।

**तृतीय स्तर-** बैंक में शुल्क जमा करने के दिनांक के बाद दो दिन छोड़कर अग्रेतर कार्य दिवस में (अपराह्न 2 बजे के पश्चात) अभ्यर्थी को आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित सबमिट एप्लिकेशन फार्म बटन को क्लिक करने पर प्रदर्शित फॉर्म में ऑनलाइन सूचनाएँ भरनी होंगी तथा फोटो और हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करना होगा। उसका नमूना परिशिष्ट -6 पर है। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है की वे अपने हाल के नवीनतम, आवक्ष तक (इमेज जो तीन माह से ज्यादा पुराना न हो) के रंगीन फोटोग्राफ सफ़ेद पृष्ठभूमि के

साथ तथा नमूना हस्ताक्षर की स्कैनिंग करके प्रविष्ट (upload) करेंगे। फोटोग्राफ>(\* .jpe, \*.jpeg, \*.jpg) के प्रारूप पर होगा जिसका आकार 50 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी काली स्याही से हस्ताक्षर करके उसको स्कैन करेंगे। यदि फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित आकार में स्कैन करके अपलोड नहीं किया जाता तो ऑनलाइन आवेदन, सिस्टम पर स्वीकार नहीं होगा। फोटो व हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करने की प्रक्रिया (परिशिष्ट-7) में दी गई है। अभ्यर्थी फोटो अपलोड करने के उपरांत वेरिफिकेशन कोड डालकर जब सबमिट करेगा तो आवेदन प्रारूप पर सभी प्रविष्टियाँ अंकित करने के बाद "व्यू एप्लीकेशन फार्म" को क्लिक करके अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गयी सूचनाओं को देख लें कि सभी सूचनाएँ सही-सही भरी गयी है और पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद ऑनलाइन आवेदन आयोग को प्रेषित करने हेतु "सबमिट" बटन को क्लिक करें, अभ्यर्थी द्वारा समस्त सूचनाएँ सही- सही निर्देशानुसार ऑनलाइन फार्मेट में भरकर आवेदन जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि तक सबमिट बटन को क्लिक करना आवश्यक है, यदि अभ्यर्थी द्वारा सबमिट बटन को क्लिक नहीं किया जाएगा तो आवेदन सबमिट नहीं होगा। इसका दायित्व अभ्यर्थी का होगा। "सबमिट" बटन को क्लिक करने के पश्चात आवेदन का प्रिंटआउट परिशिष्ट-7ए लेकर अभ्यर्थी इसे अपने पास सुरक्षित रखें। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आवेदन करते समय पूरी सावधानी बरतें। चूंकि किसी विसंगति के लिए आयोग जिम्मेदार न होगा।

**नोट-** अभ्यर्थी कृपया ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्तर का अनुपालन सुनिश्चित कर लें। यदि कोई अभ्यर्थी आवेदन शुल्क जमा करने के बाद तृतीय स्तर में दी गयी प्रक्रिया पूर्ण नहीं करता है और उसके अंतर्गत अंतिम रूप से अपना आवेदन सबमिट नहीं करता है तो आवेदन की प्रक्रिया अधूरी रह जाएगी। अभ्यर्थी के अंतिम रूप से आवेदन सबमिट न करने की दशा में उनका आवेदन अपूर्ण रह जाएगा और उसके लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा।

3- एक बार आवेदन "सबमिट" करने के पश्चात उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

4- **आवेदन शुल्क** – ऑनलाइन आवेदन के कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का प्रारूप भरने के बाद उपरिवर्णित विधि से परीक्षा शुल्क का भुगतान करेंगे। स्टेट बैंक ई- कलेक्ट के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से जमा शुल्क स्वीकार नहीं होगा। आवेदन हेतु श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है:-

क्र० सं०	श्रेणी	आवेदन शुल्क	ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क	(आवेदन शुल्क + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क) योग
(1)	अनारक्षित (सामान्य)	100.00	25.00	125.00
(2)	अन्य पिछड़ा वर्ग	100.00	25.00	125.00
(3)	अनुसूचित जाति	40.00	25.00	65.00
(4)	अनुसूचित जनजाति	40.00	25.00	65.00

**नोट-** स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिकों एवं महिला अभ्यर्थियों को क्रमांक -1 से 4 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा।

5- अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में किया गया दावा सत्य नहीं पाये जाने पर अभ्यर्थी को आयोग की प्रथमतः परीक्षा तथा अन्य समस्त चयनों / परीक्षाओं से डिबार करने की कार्यवाही तथा अन्य दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

6- सबमिट किये गए आवेदन में यदि अभ्यर्थी कोई संशोधन करना चाहते हैं तो निर्धारित अंतिम तिथि तक वे दूसरा आवेदन (सेकंड रजिस्ट्रेशन) संशोधित सूचना के साथ पुनः आवेदन शुल्क जमा करके ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। पहले आवेदन में जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा और उसका समायोजन अन्य आवेदन में भी नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा उक्त पदों के लिए एक से अधिक आवेदन "सबमिट" करने की दशा में अंतिम आवेदन ही स्वीकार होगा, शेष सभी आवेदन निरस्त माने जाएंगे।

7- उपर्युक्त प्रस्तर-1 में उल्लिखित विभागों में रिक्त पदों का विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर श्रेणीवार विवरण-

### सारिणी-1

पद क्रम सं०	विभाग का नाम	पद नाम	वेतनमान/ वेतनबैंड/ ग्रेड पे	01 जुलाई, 2015 को आयु न्यूनतम- अधिकतम (वर्षों में)	पदों की संख्या					पदों की प्रकृति
					अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल पद	
1	सचिवालय प्रशासन विभाग उ०प्र०शासन लखनऊ।	विधान भवन रक्षक	रु० 5200-20200 ग्रेड- पे 2000/-	18-40	24	09	00	11	44	अस्थायी
2	प्रमुख वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष, वन एवं वन्य जन्तु, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।	वन रक्षक	रु० 5200-20200 ग्रेड- पे 1900/-	18-40	313	125	14	168	620	स्थायी
				कुल योग	337	134	14	179	664	

नोट- (i) उपरोक्त पद समाज के विकलांगजन हेतु चिह्नंकित नहीं हैं।

(ii) उपर्युक्त विभागों में रिक्त सभी पदों के लिए केवल एक ही आवेदन करना है।

## विभागवार क्षैतिज आरक्षण

उपर्युक्त सारणी 1-में उल्लिखित पदों में क्षैतिज आरक्षण के संबंध में विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया विवरण निम्नवत है:-

### सारणी-2

विभाग का नाम	पदनाम	क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी	पदों की संख्या
सचिवालय प्रशासन विभाग उ०प्र०शासन लखनऊ।	विधान भवन रक्षक	(i)- महिला	08
		(ii)-भूतपूर्व सैनिक	02
सचिवालय प्रशासन विभाग उ०प्र०शासन लखनऊ।	वन रक्षक	(i)- महिला	116
		(ii)-भूतपूर्व सैनिक	29
		(iii)- स्व०संग्राम सेनानी के आश्रित	11

### टिप्पणी

- (1)- उपर्युक्त सारणी 1-में उल्लिखित पदों के सापेक्ष आवेदन हेतु इच्छुक अभ्यर्थी, जो 01 जुलाई, 2016 को पद के सम्मुख अंकित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं और पद हेतु विहित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, जिसका उल्लेख आगे किया जा रहा है, धारित करते हैं और संबन्धित पद हेतु निर्धारित शारीरिक स्वस्थता के मापदण्डों के अंतर्गत आते हैं, वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- (2)- महिलाओं, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों तथा भूतपूर्व सैनिकों को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यावधिक शासनादेशों में विहित नियमानुसार क्षैतिज आरक्षण देय होगा।
- (3)- उत्तर प्रदेश शासन के आरक्षण संबंधी नवीनतम अधिनियमों शासनादेशों में निर्धारित/ अध्यादेशों/ नीति निर्देशों के अनुरूप आरक्षित रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।
- (4)- उपर्युक्त सारणी 1-में श्रेणीवार पदों की संख्या संबन्धित विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गए श्रेणीवार रिक्त पदों की सूचना पर आधारित है।
- (5)- रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है।

**8- अनिवार्य अर्हता:- (शैक्षिक)** उपर्युक्त सारणी-1 में उल्लिखित पदों (विधान भवन रक्षक एवं वन रक्षक) की अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) व अधिमानी अर्हता निम्नवत है:-

- (1) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की होना आवश्यक है।

**(2) अधिमानी अर्हता:-**

अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने-

(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या,

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

(तीन) केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कम्प्यूटर अप्लीकेशन में प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो (केवल वनरक्षक के पदों के परिप्रेक्ष्य में लागू है)।

या

(चार) किसी खेल में राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो (केवल वनरक्षक के पदों के परिप्रेक्ष्य में लागू है)।

**9- (1)- विधान भवन रक्षक के पदों हेतु विहित शारीरिक स्वस्थता-** किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो और उसकी शारीरिक माप नीचे दिये गए मानकों से कम न हो:-

(अपेक्षित शारीरिक स्वस्थता के मानक में सम्मिलित ऊंचाई वजन और सीने की माप)

पुरुष		महिला		
ऊंचाई	सामान्य/अ०पि०वर्ग/अनु० जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई	168 सेन्टीमीटर न्यूनतम	सामान्य/अ०पि०वर्ग/अनु० जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई	152 सेन्टीमीटर न्यूनतम
	अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई	160 सेन्टीमीटर न्यूनतम	अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई	147 सेन्टीमीटर न्यूनतम
सीना	सामान्य/अ०पि०वर्ग/अनु० जाति के अभ्यर्थियों के लिए फुलाने पर सीना	84 सेन्टीमीटर न्यूनतम	वजन 45 से 58 किलोग्राम	
सीना फुलाने के पश्चात्	अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए फुलाने पर सीना	82 सेन्टीमीटर न्यूनतम		

**नोट-** न्यूनतम 05 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है।

किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित किए जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह फाइनेंशियल हैंड बुक, खंड-2 भाग-3 के अध्याय में दिये गए फंडामेंटल रूल 10 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ से स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

(2)- विधान भवन रक्षक के पदों पर चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा।

**9-(3)- वन रक्षक पदों हेतु विहित चयन का आधार-** प्रशङ्गत पद पर चयन (क) लिखित परीक्षा (ख) साक्षात्कार (ग) शारीरिक मानक परीक्षा (घ) शारीरिक दक्षता परीक्षा (ङ) चिकित्सा परीक्षा के आधार पर किया जाएगा।

(3.1) शारीरिक मानक परीक्षा-(ग)- ऐसे अभ्यर्थी जो उपर्युक्त बिन्दु 9(3) के अंतर्गत उप खण्ड (क) एवं (ख) के अधीन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में सफल घोषित किए गए हों, से एक अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक मानक परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी, जो निम्नवत होगी-

पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत निर्धारित है:-

पुरुष अभ्यर्थी		महिला अभ्यर्थी		
ऊंचाई	सामान्य/अ०पि०वर्ग/अनु० जाति के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई	168 सेन्टीमीटर	सामान्य/अ०पि०वर्ग/अनु० जाति के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई	152 सेन्टीमीटर
	अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई	160 सेन्टीमीटर	अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई	147 सेन्टीमीटर
सीने का फुलाव	सामान्य/अ०पि०वर्ग/अनु० जाति के अभ्यर्थियों के लिए	84 सेन्टीमीटर	महिला अभ्यर्थियों के लिए वजन	वजन 45 से 58 किलोग्राम
	अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए	82 सेन्टीमीटर		

टिप्पणी-(1)- न्यूनतम 05 सेन्टीमीटर का फुलाव अनिवार्य है।

- (2)- जहां कहीं भी परीक्षण आयोजित किया जाय, वहाँ परीक्षा आयोजन के पूर्व सूचना पट्ट पर प्रत्येक परीक्षण हेतु अर्हता के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक को अत्यंत प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए।
- (3)- शारीरिक मानक परीक्षण की परीक्षा के लिए भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जाए।

(3.2) - शारीरिक दक्षता परीक्षण -(घ)- ऐसे अभ्यर्थियों से जो बिन्दु (3.1) के अधीन उप खण्ड (ग) की शारीरिक मानक परीक्षा में सफल घोषित किए गए हों, से एक अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी, जो निम्नवत होगी:-

(क) पुरुष अभ्यर्थियों से 10 कि०ग्रा० का भार लेकर चार घंटे में 25 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने की और महिला अभ्यर्थियों से 04 घंटे में 14 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने की अपेक्षा की जाती है। यह दौड़ अर्हकारी प्रकृति की है।

(ख) प्रत्येक परीक्षण हेतु अर्हता के लिए न्यूनतम शारीरिक मानकों का प्रदर्शन प्रभागीय सूचना पट्ट पर प्रमुखता से किया जाएगा।

(ग) शारीरिक दक्षता परीक्षण केवल अर्हकारी प्रकृति का है और इसका श्रेष्ठता सूची पर कोई प्रभाव न होगा। इस अर्हकारी परीक्षण का परिणाम सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जाएगा और जहां तक संभव हो वेबसाइट पर प्रतिदिन अपलोड किया जाएगा।

(घ) शारीरिक दक्षता परीक्षण का परिणाम अभ्यर्थियों को उसी दिन उपलब्ध करा दिया जाएगा। सभी अभ्यर्थियों का परिणाम सूचना पट्ट पर प्रदर्शित कर दिया जाएगा और जहां तक संभव हो वेबसाइट पर प्रतिदिन अपलोड किया जाएगा।

(ङ) शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों से तहसील मुख्यालय और जिला चिकित्सालयों के पदाभिहित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सीय स्वस्थता परीक्षण से गुजरने की अपेक्षा की जाएगी।

उपर्युक्त बिन्दु-9(3.1) में निर्धारित शारीरिक मानक परीक्षा एवं 9(3.2) में निर्धारित शारीरिक दक्षता परीक्षण तीन सदस्यीय एक दल द्वारा किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे-

- (1) संबन्धित वन प्रभाग के प्रभारी प्रभागीय निदेशक,
- (2) चिकित्सक/क्रीडा अधिकारी/राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिकारी,
- (3) उप प्रभागीय वनाधिकारी / सहायक वन संरक्षक।

(3.3)- चिकित्सा परीक्षा - (ड) - ऐसे अभ्यर्थी जो बिन्दु (3.2) के अधीन उप खण्ड (घ) की शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल घोषित किए गए हों, से चिकित्सा परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी, जो निम्नवत होगी-

(क)- जिन अभ्यर्थियों ने शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है वे अधिसूचित केन्द्रों पर (जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र) जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा गठित चिकित्सा परिषद द्वारा चिकित्सीय परीक्षण कराएंगे। प्रत्येक चिकित्सा परिषद के लिए अभ्यर्थियों की संख्या ( एक दिन में 50 से अनधिक) इस प्रकार अवधारित की जाएगी कि उसमें चिकित्सीय परीक्षा की प्रक्रिया और गुणवत्ता प्रभावित नहीं होगी। यदि अभ्यर्थियों की अधिक संख्या के कारण अधिक समय की अपेक्षा हो तो आयोग अपने स्तर पर निर्णय लेकर अपेक्षित समय का विनिश्चय कर सकता है। परीक्षा आयोजित किए जाने से पूर्व चिकित्सा परीक्षण की अर्हता के लिए न्यूनतम अपेक्षाओं को, जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला चिकित्सालय, और तहसील सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सूचना पट्ट पर जहां कहीं पर भी परीक्षण आयोजित किया जाए, अत्यंत प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा।

चिकित्सकों द्वारा अभ्यर्थियों का परीक्षण चिकित्सा मैनुअल के अनुसार किया जाएगा। चिकित्सा परिषद मुख्यतया मानव शरीर की कमियों, यथा- नाक-नी, बो- लेग्स, फ्लैट- फीट, वैरिकोज वेंस, दूर एवं निकट दृष्टि, कलर ब्लाइंडनेस, रिनीज़ टेस्ट सहित श्रवण परीक्षण, वेबर्स टेस्ट और वरटिगो इत्यादि की जांच करेगा। परिषद, विशेषज्ञों की राय प्राप्त करने के पश्चात अन्य परीक्षण कर सकता है।

(ख)- दिन की समाप्ति पर प्रतिदिन अभ्यर्थियों का परिणाम सूचना पट्ट पर प्रदर्शित कर दिया जायेगा और जहां तक सम्भव हो वेबसाइट पर प्रतिदिन अपलोड किया जायेगा।

(ग)- चिकित्सीय परीक्षा मात्र अर्हकारी प्रकृति की होगी और इसका श्रेष्ठता सूची पर कोई प्रभाव न होगा।

9(4)- चयन प्रक्रिया- विधान भवन रक्षक एवं वन रक्षक के पदों पर चयन हेतु उपर्युक्त बिन्दु- 9(1) व 9 (3) (क) व 9 (3) (ख) में उल्लिखित चयन प्रक्रिया हेतु उत्तर प्रदेश समूह 'ग' के पदों के लिए सीधी भर्ती (रीति और



प्रक्रिया) नियमावली, 2015 अधिसूचना दिनांक 11 मई, 2015 में विहित प्रावधानों के अंतर्गत सीधी भर्ती से संबन्धित लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम निम्नवत है-

विधान भवन रक्षक एवं इन रक्षक के पदों पर भयन हेतु  
परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम

(1) प्रथम चरण- लिखित परीक्षा 180 अंक  
लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, जिसके विषय एवं अंक निम्नवत हैं-

विषय	प्रश्नों की संख्या	अंक	समयावधि
भाग-1 हिन्दी परिज्ञान और लेखन योग्यता	80	80	02 घण्टे
भाग-2 सामान्य जानकारी	50	50	
भाग-3 सामान्य बुद्धि परीक्षण	50	50	
योग	180	180	
(2) द्वितीय चरण- साक्षात्कार	-	20	
कुल योग	-	200	

पाठ्यक्रम

भाग-1 हिन्दी परिज्ञान और लेखन योग्यता-

उक्त भाग में अभ्यर्थियों से हिन्दी भाषा का ज्ञान तथा समझ एवं लेखन योग्यता संबंधी प्रश्न पूछे जायेंगे। यह प्रश्नपत्र 30प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद की इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा के स्तर का होगा।

भाग-2 सामान्य जानकारी-

उक्त भाग में अभ्यर्थियों से उसके घासों और के यातावरण के संबंध में सामान्य जानकारी तथा समाज में उसके उपयोग के संबंध में उसकी योग्यता आंकने के लिए प्रश्न पूछे जायेंगे। उक्त भाग में साम-सामयिक घटनाओं, प्रतिदिन दृष्टिगोचर होने तथा अनुभव में आने वाले तथ्यों, विशेष रूप से भारत से संबंधित ऐतिहासिक एवं भौगोलिक तथ्यों से संबंधित, वैज्ञानिक पहलुओं के ज्ञान, वन-पर्यावरण-जलवायु से संबंधित प्रश्न भी पूछे जायेंगे, जिनकी किसी इण्टरमीडिएट शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है।

भाग-3 सामान्य बुद्धि परीक्षण-

इस भाग में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उद्देश्य किसी नवीन परिस्थिति को समझने, उसके विभिन्न तथ्यों का विश्लेषण तथा पहचान करने एवं तर्क करने की योग्यता को मापना है। इस भाग में ऐसे प्रश्न भी पूछे जायेंगे, जो अनुदेशों को समझने, संबंधों/समानताओं/समताओं का पता लगाने, निष्कर्ष निकालने तथा बौद्धिक क्रियाओं से संबंधित हों।

नोट -परीक्षा तिथि व परीक्षा केन्द्रों के संबंध में अभ्यर्थियों को यथासमय वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

**वरीयता-**अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय विभाग व पद की वरीयता देनी होगी।आयोग अभ्यर्थियों की प्रवीणता क्रम में जैसा कि अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों के कुल योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और पद की उपलब्धता,शैक्षिक अर्हता,श्रेष्ठता एवं अभ्यर्थियों द्वारा दिये गए वरीयता के विकल्प के अनुसार संस्तुति करने का प्रयास करेगा किन्तु इस सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

**10- आयु सीमा :-** (1)आयु गणना की निश्चयक तिथि 01 जुलाई 2016 है। अर्थात् अभ्यर्थी ने पहली जुलाई 2016 (01-07-2016) को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो अर्थात् उसका जन्म 02 जुलाई 1976 से पूर्व तथा 01 जुलाई 1998 के बाद न हुआ हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ऐसी अन्य श्रेणी, के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएँ तथा शासनादेश दिनांक 28.11.1985 के अनुसार वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों को 5 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट 01 जुलाई 2016 को इस शर्त के साथ अनुमन्य होगी कि उनकी सम्पूर्ण सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु में से घटा कर परिणामस्वरूप शेष आयु निर्धारित आयु से 03 वर्ष से अधिक न हो।

(2) विधान भवन रक्षक के पदों के सापेक्ष आवेदन करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो छंटनीशुदा कर्मचारी हैं, के मामले में उच्चतर आयु सीमा में छूट उत्तर प्रदेश सरकार या सार्वजनिक निगमों के छंटनीशुदा कर्मचारियों की "सरकारी सेवा में आमेलन (नियमावली का विखंडन) अधिनियम, 2009" के अनुसार अनुमन्य होगी।

**11- आरक्षण-** उ० प्र० की अनुसूचित जातियों / उ० प्र० की अनुसूचित जनजातियों, उ० प्र०के अन्य पिछड़े वर्गों को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यावधिक विद्यमान शासनादेशों/विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा। इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत आने वाली श्रेणियों यथा – उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित / भूतपूर्व सैनिक तथा उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को भी विद्यमान अद्यावधिक शासनादेशों के अनुसार रिक्तियाँ बनने पर (कोटा बनने पर) नियमानुसार आरक्षण अनुमन्य होगा। उक्त पद समाज के विकलांगजन हेतु चिन्हित नहीं है।

**नोट-** आरक्षण / आयु में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबन्धित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट -8 में मुद्रित तथा वैंबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र/आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, जो आवेदन की अंतिम तिथि तक अथवा आवेदन की तिथि तक जारी किया हो, अवश्य प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाए तब वे आयोग को प्रस्तुत करें।

## **12- अभ्यर्थियों के लिए सामान्य अनुदेश-**

(1) उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें।

(2) एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी दी जाएगी।

(3) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित / भूतपूर्व सैनिक तथा महिला अभ्यर्थियों को, जो उ०प्र० राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के माने जाएंगे। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

(4) वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ी तथा भूतपूर्व सैनिक उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अद्यावधिक निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र पर अपना दावा प्रस्तुत करेंगे अन्यथा अभ्यर्थी द्वारा एतदर्थ किया गया दावा स्वीकार नहीं होगा।

(5) उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, जैसी भी स्थिति हो, की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के पुत्र या पुत्री तथा वह अथवा उनका परिवार सामान्यतया उत्तर प्रदेश में निवास करता हो, ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र जिसमें उसके उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है, मान्य न होगा।

(6) उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के पुत्र या पुत्री तथा वह अथवा उनका परिवार सामान्यतया उत्तर प्रदेश में निवास करता हो। ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र जिसमें उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है, मान्य न होगा।

- (7) ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित होने का दावा करते हैं उन्हें यहाँ सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा एतदर्थ प्रस्तुत प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 यथासंशोधित के अनुक्रम में जारी शासनादेश दिनांक 21 अप्रैल, 2015 के साथ संलग्न प्रारूप पर तथा यह कि स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी उत्तर प्रदेश के अधिवासी है या फिर वह तथा अभ्यर्थी स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी का (1) पुत्र और पुत्री (विवाहित या अविवाहित) अथवा (2) पौत्र अर्थात् (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) या पौत्री अर्थात् (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) विवाहित या अविवाहित हैं।
- (8) जो अभ्यर्थी केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में सेवारत हैं वे अपने सेवायोजक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें जिसे साक्षात्कार के समय अथवा मांगे जाने पर आयोग को प्रस्तुत करना होगा, प्रारम्भ में अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है, परंतु इस आधार पर विलंब से प्राप्त आवेदन पत्रों को कालबाधित माना जाएगा।
- (9) राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उ० प्र० शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 2-ई.एम. /2001-का-4-2013, दिनांक 27 अगस्त, 2013 के अनुसार अधिकतम आयुसीमा में पाँच वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।
- (10) ऐसे पुरुष अभ्यर्थी जो विवाहित हैं तथा जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले से ही एक जीवित पत्नी है, पात्र नहीं समझे जाएंगे। बशर्ते कि राज्यपाल महोदय द्वारा उक्त प्रतिबंध से मुक्ति प्रदान न कर दी गई हो।
- (11) अभ्यर्थी के अर्ह / अनर्ह होने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
- (12) एक से अधिक क्षैतिज आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट जो अधिक लाभकारी होगी दी जाएगी।
- (13) चयनित महिलाओं, उ० प्र० स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित तथा भूतपूर्व सैनिकों को नियमानुसार क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य होगा।
- (14) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, महिला अभ्यर्थियों तथा भूतपूर्व सैनिकों को जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है, ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी के माने जायेंगे। महिला अभ्यर्थिनियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।
- (15) आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को उपर्युक्त बिन्दु-7 की सारणी-1 में उल्लिखित पदों के सापेक्ष बिन्दु-8 में विहित अनिवार्य अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए।
- (16) चयनित महिलाओं, उ० प्र० स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, तथा भूतपूर्व सैनिकों आरक्षण अधिनियम 1993 यथा संशोधित में विद्यमान नियमानुसार उन श्रेणियों में रखा जाएगा, जिनसे वे संबन्धित हैं।

### 13- अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश -

- 1- किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर आयोग की प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित किया जा सकता है।
- 2- आयोग कार्यालय में आवेदन "सबमिट" हो जाने के पश्चात अभ्यर्थी की श्रेणी, उपश्रेणी, जन्मतिथि आदि में परिवर्तन अनुमन्य नहीं है। अतः रजिस्ट्रेशन करते समय व आवेदन सबमिट करते समय सभी सूचनाएँ सही-सही भरें। गलत जेंडर (लिंग) भरने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अतः गलत जेंडर (लिंग) न भरें। ऑनलाइन प्रक्रिया में आवेदक द्वारा भरी गयी सूचनाएँ अंतिम हैं, इसमें आयोग द्वारा संशोधन किया जाना संभव नहीं है। बाद में इस सम्बंध में कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।
- 3- हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।
- 4- आयु एवं शैक्षिक योग्यता की पुष्टि में अंकपत्र, प्रमाण पत्र, उपाधि की स्वप्रमाणित प्रति साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना होगा।
- 5- परीक्षा की तिथि, समय तथा केन्द्रों आदि के संबंध में अनुक्रमांक सहित प्रवेश पत्र के माध्यम से सूचना दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केंद्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केंद्र में किसी भी दशा में परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।
- 6- जो अभ्यर्थी कालांतर में अर्ह नहीं पाये जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
- 7- आवेदन पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख न करने, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर आवेदन "सबमिट" नहीं होगा।
- 8- निर्धारित साइज़ की फोटो अपलोड न करने तथा निर्धारित स्थान पर स्पष्ट हस्ताक्षर न करने अथवा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर न करने पर अभ्यर्थियों का आवेदन तथा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।
- 9- आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दी गयी सूचनाओं के आधार पर लिखित परीक्षा में औपबन्धिक प्रवेश देगा, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन प्रारम्भिक स्तर पर स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, उक्त स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि नियुक्ति हेतु संस्तुति भी कर दिया गया हो तो आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।
- 10- कदाशय अर्थात परीक्षा भवन में नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यहार तथा अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली परीक्षाओं से प्रतिवारित किया जा सकता है।
- 11- आयोग से सभी पत्राचार में परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या, रजिस्ट्रेशन नंबर, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता / पति का नाम तथा (अनुक्रमांक यदि दिया गया हो) का उल्लेख अवश्य होना चाहिए।
- 12- नियुक्त हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियमों में अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा।

- 13- ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदन "सबमिट" करने की अंतिम तिथि तक वांछित अनिवार्य अर्हता नहीं रखते हैं, अथवा जो पद हेतु विहित न्यूनतम शारीरिक मापदण्ड के अंतर्गत नहीं आते हैं, वे इस परीक्षा में आवेदन न करें क्योंकि वे पात्र नहीं हैं।
- 14- आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के संबंध में कोई परामर्श नहीं देते हैं। इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और वे तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो जाए कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप अर्ह हैं।
- 15- किसी अनाचार/कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/ अपराधिक वाद लंबित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों के गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन / चयन के संबंध में सिफ़ारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग की परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित करने का अधिकार आयोग का होगा।
- 16- यदि अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने में कोई कठिनाई हो रही है तो दूरभाष नंबर 0522-2720814 द्वारा अथवा वैबसाइट पर कांटैक्ट-अस से अपनी कठिनाई/ समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं।
- 17- ऑनलाइन आवेदन शुल्क / परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 28.12.2016 तथा आवेदन स्वीकार "सबमिट" किए जाने की अंतिम तिथि 30.12.2016 है।



सचिव

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,  
लखनऊ।

### **Detailed Application Form:**

At the top of the page there is a declaration for the candidates are advised to go through the content of the declaration carefully. Candidate has the option to either agree or disagree with the content of Declaration by clicking on 'I Agree' or 'I do not agree' buttons. In case the candidate opts to disagree the application will be dropped and procedure will be terminated. Accepting to agree only will submit the candidate's On-Line Application.

### **Notification Details:**

This section shows information relevant to Notification.

### **Personal Details**

This section show information about candidate personal details i.e. Registration Number, candidate name, Father/Husband name, Gender, DOB, UP domicile, Category, Marital Status, email ID and contact number.

### **Other Details of candidate**

Other Details of candidate shows the information about UP Freedom Fighter, Ex-Army service duration and physical deformity.

### Education & experience Details

It shows education and experience details of the candidate.

Candidate address, photo & signature details

It shows communication address and photo with signature of the candidate.

### Declaration segment

At the bottom of the page there is a "Declaration" for the candidates.  
Candidates are advised to go through the content of the Declaration carefully.

After filling all above particulars there is provision for preview candidates detail before final submission of application form on clicking on "preview" button.

Preview page will display all facts/Particulars that the candidates have mentioned on entry time. If they are sure with filled details then click on "submit" button to finally push data into server with successfully submission report that they can print.

Otherwise using "Back" button the details can be modified.

**(CANDIDATES ARE ADVISED TO TAKE A PRINT OF THIS PAGE BY CLICKING ON THE "PRINT" OPTION AVAILABLE)**

For other information candidates are advised to select desired option in 'Home page' of commission's website <http://upsssc.gov.in> CANDIDATE SEGMENT.

CANDIDATE SEGMENT
ALL Notification/Advertisements
Candidate Registration (First Stage)
Candidate E-Challan/I-Collect (Second Stage)
Submit Application Form (Third Stage)
View Application Status
List of Applications Having Photo related Objections
Download form for Eligibility Checking
Download Interview Letter
Duplicate Registration Slip & Application form
Download syllabus

- 1) **LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATION:** On-line - Application process must be completed (including filling up of Part-I, Part-II and Part-III of the Form ) before last date of form submission according to Advertisement, after which the web-link will be disabled.

## परिशिष्ट-8

### उ0प्र0, की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित, जन जाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... सुपुत्र/सुपुत्री श्री .....  
 निवासी ग्राम ..... तहसील ..... नगर .....  
 जिला ..... उत्तर प्रदेश राज्य की ..... जाति के व्यक्ति है जिसे संविधान  
 (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ)/संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित  
 जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी ..... तथा अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के .....  
 ग्राम ..... तहसील ..... नगर ..... जिला .....  
 में सामान्यता रहता है।

स्थान .....

हस्ताक्षर .....

दिनांक .....

पूरा नाम .....

मुहर .....

पद का नाम .....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/  
 अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी

### उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... सुपुत्र/सुपुत्री श्री .....  
 निवासी ग्राम ..... तहसील ..... नगर ..... जिला .....  
 उत्तर प्रदेश राज्य की ..... पिछड़ी जाति के व्यक्ति है। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित  
 जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... पूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-दो  
 (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा  
 प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन)  
 अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आरक्षित नहीं है। इनके माता-पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय 8 लाख रुपये  
 या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी ..... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम .....  
 तहसील ..... नगर ..... जिला ..... में सामान्यतया रहता है।

स्थान .....

हस्ताक्षर .....

दिनांक .....

पूरा नाम .....

मुहर .....

पद का नाम .....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शासिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण-पत्र का प्रपत्र।

**प्रमाण-पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती ..... निवासी  
 ग्राम-....., तहसील-....., नगर-.....  
 जिला-..... उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शासिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/ श्रीमती/ कुमारी (आश्रित).....  
 पुत्र/पुत्री/पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरोक्त अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री/ श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी)..... के आश्रित हैं।

स्थान :  
 दिनांक :

हस्ताक्षर .....  
 पूरा नाम .....  
 पदनाम .....  
 मुहर .....

जिलाधिकारी  
 (सील)

**कृशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र जो उ०प्र० के मूल निवासी हैं**

उत्तर प्रदेश संख्या-22/21/1983-कार्य-2 दिनांक 29 अक्टूबर, 1983

प्रमाण-पत्र के फार्म - 1 से 4

प्रकार - 1

(कृशता प्रतल खेला/खेल में जन्मे देस की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धिता में भाग लेवे वाले खिलाड़ी के लिये)

सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम ..... राज्य सरकार की संज्ञा/पदों पर नियुक्ति के लिए कृशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी ..... आश्रित/पत्नी/आत्मज श्री ..... निवासी  
 पूरा पता ..... ने दिनांक ..... से दिनांक ..... तक ..... (स्थान का नाम) में  
 अर्जित (जीका/सेन्-कूर का नाम) की प्रतिस्पर्धिता/टूर्नामेंट में देस की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतिस्पर्धिता/टूर्नामेंट में ..... स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन के सचिव द्वारा उपरोक्त रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

स्थान ..... हस्ताक्षर .....  
 दिनांक ..... नाम .....  
 पद .....  
 तत्त्वा का नाम .....

मुहर .....

नोट: यह प्रमाण-पत्र केवल खेल/खेल में जन्मे देस की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धिता में भाग लेवे वाले खिलाड़ी के लिये ही मान्य होगा।



प्रारूप-2

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम) ..... राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिये कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... अत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री ..... निवासी (पूरा पता) ..... ने दिनांक ..... से दिनांक ..... तक में (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता (टूर्नामेंट स्थान का नाम) ..... आयोजित राष्ट्रीय ..... में उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में ..... स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण-पत्र ..... (प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान ..... हस्ताक्षर .....  
दिनांक ..... नाम .....  
पद .....  
संस्था का नाम .....  
पता .....  
मुहर .....

नोट: यह प्रमाण-पत्र प्रदेशीय खेल-कूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप-3

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

विश्वविद्यालय का नाम ..... राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिये कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... अत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री ..... निवासी (पूरा नाम) ..... विश्वविद्यालय की कक्षा ..... के विद्यार्थी ने दिनांक ..... से दिनांक ..... तक ..... (स्थान का नाम) में आयोजित अन्तर्विश्वविद्यालय ..... (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में ..... विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में ..... स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र डीन ऑफ स्पोर्ट्स अथवा इंचार्ज खेल कूद ..... विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान ..... हस्ताक्षर .....  
दिनांक ..... नाम .....  
पद ..... संस्था का नाम .....  
मुहर .....

नोट: यह प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल-कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप-4

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल-कूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश ..... राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिये कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... अत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री ..... निवासी (पूरा पता) ..... में ..... स्कूल में सखा ..... के विद्यार्थी ने दिनांक ..... से दिनांक ..... तक ..... (स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल प्रेम्स की (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में ..... स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में ..... स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण-पत्र डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान ..... हस्ताक्षर .....  
दिनांक ..... नाम .....  
पद .....  
संस्था का नाम .....  
पता .....  
मुहर .....

नोट: यह प्रमाण-पत्र निदेशक/या अतिरिक्त/संयुक्त या उपनिदेशक डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/शिक्षा ..... द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा।

सचिव